



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 2—सितम्बर 8, 2017 (भाद्रपद 11, 1939)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 2—SEPTEMBER 8, 2017 (BHADRA 11, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

मुम्बई—400001, दिनांक 15 मार्च 2017

डीसीबीआर.आरएडी.(पीसीबी).अधि. सं. 1/08.02.205/2016-17—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उपर्युक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएं, यथा:-

“गोपीनाथ पाटील पारसिक जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे” इन शब्दों के लिए “जीपी पारसिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कलबा, ठाणे” शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं।

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

दिनांक 26 जुलाई 2017

बैविवि.आइबीडी.सं.855/23.13.014/2017-18—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित को शामिल किया जाये :-

“एमिरेटस एन.बी.डी बैंक (पी.जे.एस.सी)”

सुदर्शन सेन
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली-2, दिनांक 17 अगस्त 2017

सं. वी-33(13)25/2002-स्था.IV—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, नामतः :-

क्र.सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियमधीन
1.	श्रम और रोजगार मंत्री उत्तराखण्ड।	अध्यक्ष	विनियम 10(1)(क)
2.	मुख्य सचिव, श्रम उत्तराखण्ड।	उपाध्यक्ष	विनियम 10(1)(ख)
3.	श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड।	सदस्य	विनियम 10(1)(ग)
4.	निदेशक क.रा.बी.योजना, उत्तराखण्ड।	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(i)
5.	राज्य चिकित्सा आयुक्त क.रा.बी. निगम उत्तराखण्ड।	पदेन सदस्य	विनियम 10(1)(घ)(ii)
6.	श्री पंकज गुप्ता सुपुत्र श्री आर.के.गुप्ता अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड कार्यालय पता:-मोहब्बेवाला, औद्योगिक क्षेत्र देहरादून, उत्तराखण्ड आवासीय पता:- 6 ए, प्रीतम रोड, दालानवाला, देहरादून	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ङ)
7.	श्री राकेश मिश्रा निवासी, मोहल्ला चाह इंचा राम, राजद्वारा मार्ग, रामपुर उत्तर प्रदेश	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
8.	श्री राम प्रकाश गुप्ता निवासी, पुराना खेड़ा, रुद्रपुर उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
9.	श्री जीवन कबडवल सुपुत्र स्वर्गीय श्री भुवन चंद्र कबडवल, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर कॉन्ग्रेस यूनियन, पंजीकरण सं. 307708 सुभाष नगर, वार्ड संख्या 5, लालकुंआ, नैनीताल	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनियम 10(1)(ङ)
10.	श्री पूरण सिंह बिष्ट अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ काम गांव, बगवाली डाकघर पोखर, अलमोड़ा 263101	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
11.	श्री अनिल राठी महासचिव, भारतीय मजदूर संघ 339, गोविंदपुरी, हरिद्वार-249401	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनियम 10(1) का परन्तुक
12.	क्षेत्रीय निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम देहरादून	सदस्य सचिव	विनियम 10(3)

ए.के. सिन्हा
बीमा आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 15th March 2017

DCBR.RAD.(PCB). Not. No.1/08.02.205/2016-17—In pursuance of clause (c) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the following alterations shall be made in the second schedule to the said Act, namely:-

For the words "Gopinath Patil Parsik Janata Sahakari Bank Ltd, Thane" the words "GP Parsik Sahakari Bank Ltd, Kalwa, Thane" shall be substituted.

SUDARSHAN SEN
Executive Director

—
The 26th July 2017

DBR.IBD.No.855/23.13.014/2017-18—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following:

"Emirates NBD Bank (P.J.S.C)"

SUDARSHAN SEN
Executive Director

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi-2, the 17th August 2017

No. V-33(13)25/2002. E-IV—In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Uttarakhand State which shall consist of the following members, namely:—

Sl. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1	Labour & Employment Minister, Uttarakhand.	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2	Chief Secretary, Labour, Uttarakhand	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3	Labour Commissioner, Uttarakhand	Member	Reg. 10(1)(c)
4	Director, ESI Scheme, Uttarakhand	Ex-officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5	State Medical Commissioner, ESI Corporation, Uttarakhand.	Ex-officio Member	Reg. 10(1)(d)(ii)
6	Shri Pankaj Gupta S/o Sh. R.K. Gupta, Chairman, Industries Association of Uttarakhand, Office Address:- Mohabbeywala, Industrial Area, Dehradun, Uttarakhand, Resi. Address:- 6-A, Pretam Road, Dalanwala, Dehradun.	Employers' Representative	Regulation 10(1)(e)
7	Shri Rakesh Mishra, R/o Mohalla Chah Incha Ram, Rajdwara Road, Rampur(UP)	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)
8	Shri Ram Prakash Gupta, R/o Purana Khera, Rudrapur, Uddyam Singh Nagar, Uttarakhand	Employers' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)
9	Shri Jeevan Kabadwal S/o Late. Sh. Bhuwan Chandra Kabadwal, All India Transport Motor Congress Union, Reg. No. 307708, Subhash nagar, Ward No.5, Lalkuah, Nainital.	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
10	Shri Puran Singh Bisht, President, BMS, Vill. Kaam, PO-Bagwali, Pokhar, Almora-263101	Employees' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)

Sl. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
11	Shri Anil Rathi, General Secretary, BMS, 339, Govindpuri, Haridwar-249401	Employees' Additional Representative	Proviso to Regulation 10(1)
12	Regional Director, ESI Corporation, Dehradun.	Member Secretary	Reg. 10(3)

A. K. SINHA
Insurance Commissioner

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017
www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]

LAZAR
SAGAYA
RAJ

Digitally signed by
LAZAR SAGAYA RAJ
Date: 2017.09.02
12:56:57 +05'30'